F. No. 141-141/2013-SPB-II
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts
Personnel Division

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi - 110001
Dated: - 5th December, 2019

To

All Chief Postmasters General.

Subject: - Guidelines for transfer to regulate transfers of Group 'C' officials, Group 'B' (non-gazetted) officials and Assistant Superintendent of Posts (Group 'B' Gazetted).

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith the Hindi version of revised 'Guidelines for Transfer' to regulate transfer of Group 'C' officials, Group 'B' (non-gazetted) officials and Assistant Superintendent of Posts (Group 'B' Gazetted) issued vide Directorate's communication of even number dated 17.01.2019.

2. In case of any difference in interpretation of Hindi version and English version, English version of the transfer policy guidelines shall prevail.

Yours faithfully,

Encl.: As above

05/12/2019
(Muthuraman C)
Assistant Director General (SPN)
Tel: 23096092

Copy to:-

General Manager CEPT, Mysore for uploading guidelines on India Post website under the heading "Right to Information → Sl. No. 18 → Sl. No. 2 → Transfer Policy – Hindi Version".

स्थानांतरण के लिए दिशानिर्देश

1. **अनुप्रयोज्यता**

ये दिशानिर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगे:-

ii) समूह "ग" अधिकारी

ii) समूह "ख" (अ-राजपत्रित) अधिकारी

iii) पदों के सहायक अधीक्षक (समूह "ख" राजपत्रित)

2. **डाक नियमपुस्तक खंड iv के नियम 37 के अधीन स्थानांतरण:**

इन दिशानिर्देशों में किसी बात के हाते हुए भी, जब तक किसी विशेष श्रेणी या श्रेणियों के अधिकारियों को स्पष्ट रुप से अन्यथा आदेश न दिए जाए, अधिकारी को भारत के किसीभी भाग में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

बशर्ते कि डाकपाल, ग्राम डाकपाल या एम.टी.एस. को, लिखित में दर्ज किए जाने वाले अत्यंत विशेष कारणों को छोड़कर, एक प्रभाग से अन्य प्रभाग में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए ।

3. डाक नियम पुस्तक खंड iv के नियम 38 के अधीन किसी के अनुरोध पर स्थानांतरण

(क) सामान्य शर्ते:-

(i) सामान्यत: किसी अधिकारी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, या एक ही सर्किल के भीतर या किसी अन्य सर्किल में तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने संतोषजनक रुप से परिवीक्षा अवधि को पूरा न कर लिया हो ।

(ii) अपनी सुविधा के लिए अनुरोध किए जाने पर अधिकारी का स्थानांतरण तब मना नहीं किया जाएगा यदि ऐसा करने से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन न होता हो ।

(iii) चूंकि यह संभव नहीं है कि एक पदक्रम सूची से दूसरी पदक्रम सूची में निहित अधिकारी को लाया जा सके, इसलिए आपसी विनिमय को छोड़कर सामान्यत: ऐसे स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि वे आपस में ही अंतर्निहित रुप से अनापत्ति योग्य है तो आपसी विनिमय के माध्यम से स्थानांतरण करने की अनुमति दी जाएगी । किंतु दोनो कार्यालयों की पदक्रम सूची में निहित कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आने वाला अधिकारी नई पदकम सूची में जगह ले लेगा, जो उसे सौंप दी गई होती यदि वह अधिकारी, जिसके साथ वह नियुक्ति, जो भी निम्न हो, का विनिमय करता है, द्वारा रिक्त किए गए यूनिट या स्थान में मूलत: भर्ती हुआ होता ।

(iv) जब अधिकारी को उसके अनुरोध पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, किंतु आपसी विनिमय के लिए व्यवस्था नहीं की जाती तो वह नई यूनिट में सरकारी तौर पर पदभार ग्रहण करने की तारीख को उस यूनिट के सभी अधिकारियों की नई यूनिट की पदक्रम सूची में कनिष्ठ रहेगा ।

(v) पुरानी तथा नई यूनिटें उच्चतर संवर्ग में पदोन्नति के प्रयोजन से वृहत यूनिट का भाग बनती हैं तो अंतरिती (चाहे अपासी विनिमय से हो या अन्यथा से) वृहत यूनिट की पदक्रम सूची में मूल वरिष्ठता बनाए रखेगा ।

(vi) एक यूनिट से दूसरी यूनिट में स्थानांतरित अधिकारी को अपनी पुरानी यूनिट में पुन: स्थानांतरण मांगने की अनुमति होगी । तथापि, ऐसे मामले पर, इन

दिशानिर्देशों के अन्य सभी उपबंधों के अधीन नियम 38 के अधीन नए स्थानांतरण मामले के रुप में विचार किया जाएगा ।

(vii) किसी भी तरह से संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यूनिट जहां से उसे पहले स्थानांतरित किया गया था, में पुन: स्थानांतरित करने पर अधिकारी वरिष्ठता या कोई अन्य विशेष विशेषाधिकार लेने का हकदार नहीं होगा जो वह प्रारंभिक स्थानांतरण से पहले पुरानी यूनिट की पदक्रम सूची में अपने पद के कारण लेने का हकदार होता । ऐसे अधिकारी की वरिष्ठता का निर्धारण उपर्युक्त यहां इसमें पैरा 3 (क) (iii), 3(क) (iv) एवं 3 (क) (v) में उपबंधित रीति में होगा । तथापि, अधिकारी जिसने इस नियम के अधीन स्थानांतरण से पहले विभागीय परीक्षा दी थी, उसे ऐसी परीक्षा के आधार पर पुरानी यूनिट में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को रोका नहीं जाएगा, किंतु उसका नई यूनिट में ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा । यदि अधिकारी ऐसी विभागीय परीक्षा, जो उसने पुरानी यूनिट में दी थी, में उत्तीर्ण हो जाता है तो ऐसा अधिकारी पुरानी यूनिट में पदोन्नत पद में सीधे पदभार ग्रहण करेगा तथा पुरानी यूनिट में ऐसी नियुक्ति को इस नियम के अधीन स्थानांतरण के रुप में नहीं माना जाएगा ।

(viii) नियम 38 के अधीन स्थानांतरण की अनुमति समान प्रकार/श्रेणियों की रिक्तियों के लिए ही दी जाएगी अर्थात् सीधी भर्ती का स्थानांतरण सीधी भर्ती रिक्ति के लिए किया जाएगा तथा पदोन्नत रिक्ति के लिए पदोन्नत का स्थानांतरण किया जाएगा । इसके अलावा, अनारक्षित (यू.आर.) अभ्यर्थी को अनारक्षित रिक्ति के लिए स्थानांतरित किया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग